| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|
| 6/1/2015 | **सारण समाहरणालय, छपरा।**<br><br>**न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा**<br>**जिला विधि प्रशाखा**<br>**आपूर्त्ति अपील संख्या 09/10**<br>**बीरेन्द्र कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य**<br>**आदेश**<br><br>संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 1119 दिनांक 18.3.10 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी।<br><br>वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 27.1.10 को अंचलाधिकारी परसा एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परसा के द्वारा बीरेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम–सतासी, प्रखंड–इसुआपुर, अनुज्ञप्ति सं0 89/07 की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के क्रम में पायी गयी अनियमितता इस प्रकार है:<br><br>1. जॉच के समय दूकान बंद पायी गई।<br>2. सूचनापट्ट संधारित नहीं था।<br>3. उपभोक्ताओं के द्वारा दिए गए बयान के अनुसार विक्रेता के द्वारा तीन माह में एक बार किरासन तेल का वितरण किया जाता है और जबरदस्ती कूपन फाड़ लिया जाता है।<br>4. उठाव प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता के द्वारा बी.पीएल. अनाज योजना के खाद्यान्न का अक्टूबर एवं दिसम्बर माह का उठाव किया गया है, लेकिन उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत की गयी है कि उनके द्वारा खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता है।<br>5. विक्रेता के द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना का खाद्यान्न अक्टूबर एवं दिसम्बर माह का उठाव किया गया है, परन्तु उसके संबंध में उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि उन्हें अन्त्योदय योजना का खाद्यान्न नहीं मिलता है। | |

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 456/सी दिनांक 6.2.10 के द्वारा विक्रेता से प्रथम कारणपृच्छा की गयी एवं विक्रेता से प्राप्त जवाब के असंतोषजनक होने की वजह से पुनः अपने ज्ञापांक 602 दिनांक 18.2.10 के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गयी। विक्रेता से प्राप्त जवाव को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उनके जवाब को अस्वीकृत करते हुए उनके अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि दिनांक 27.1.10 को अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से वे अपना ईलाज कराने डॉ0 के यहाँ चले गए थे, जिससे दूकान वंद थी। इससे संबंधित सूचना उनके द्वारा सूचनापट्ट पर अंकित कर दी गयी थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि किसी छोटे बच्चे के द्वारा उसे मिटा देने की वजह से जॉच पदाधिकारी के द्वारा उसे नहीं देखा जा सका। विक्रेता के द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक माह में किरासन तेल का उठाव किया जाता है एवं उसका वितरण प्रत्येक माह अपने उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित मूल्य एवं निर्धारित मात्रा में किया जाता है। कभी भी किसी उपभोक्ता का कूपन जबरदस्ती फाड़कर नहीं रखा जाता है। विक्रेता के द्वारा अक्टूबर एवं दिसम्बर माह का बी.पी.एल. अनाज योजना का खाद्यान्न का उठाव किया गया था एवं उसका वितरण भी अपने उपभोक्ताओं के बीच ससमय कर दिया गया था। जिन उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के विरूद्व शिकायत की गयी है, वे विक्रेता के वितरण क्षेत्र के बाहर के उपभोक्ता है। विक्रेता के द्वारा अक्टूबर एवं दिसम्बर माह का अन्त्योदय अन्न योजना का खाद्यान्न का उठाव किया गया था और उसका वितरण भी ससमय अपने उपभोक्ताओं के बीच कर दिया गया था, लेकिन कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा पुरानी दुश्मनी की वजह से उसके विरूद्व शिकायत की गयी, जो बिल्कुल गलत है। विक्रेता के द्वारा कभी भी किसी विभागीय निर्देश का उल्लंघन नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया।

| | |
|---|---|
| | परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अपीलार्थी के द्वारा संधारित वितरण पंजी में बी.पी.एल. योजना के लाभुकों तथा अन्त्योदय योजना के लाभुकों के नाम, उनके कूपन संख्या एवं उनके हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान में काफी अनियमितता मौजूद है। बी.पी.एल. योजना के उठाव एवं वितरण पंजी में अक्टूबर, 2009 में विक्रेता के द्वारा हस्ताक्षरित जमा किए गए कूपन देखने पर पता चलता हैं कि जिन उपभोक्ताओं का नाम/हस्ताक्षर अंकित है, इनमें से किसी का भी नाम उपभोक्ता अथवा खाद्यान्न प्राप्तकर्त्ता के नाम में सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार अन्त्योदय योजना के दिसम्बर, 09 के भंडार पंजी में जिन उपभोक्ताओं का नाम/हस्ताक्षर अंकित है, उनमें से 50 उपभोक्ताओं का नाम वितरण पंजी में सम्मिलित नहीं हैं। इसी प्रकार से अन्त्योदय योजना की वितरण पंजी में दिसम्बर, 09 में कमांक 05, 10,11, 18, 21, 25, 32, 35, 42, 44 एवं 47 के उपभोक्ताओं का कूपन पर हस्ताक्षर अंकित है, परन्तु वितरण पंजी में अंगूठे का निशान अंकित है। इस तरह अपीलार्थी के वितरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विक्रेता के द्वारा मनमाने ढ़ंग से अनुदानित दर पर सरकार से प्राप्त खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण किया जाता है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।<br><br>वाद निष्पादित।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br>जिला दंडाधिकारी,<br>सारण, छपरा<br><br>जिला दंडाधिकारी,<br>सारण, छपरा |

ज्ञापांक 01 मु॰(ज) ........ दिनांक 13/1/15

प्रतिलिपिः—अनुमंडल पदाधिकारी,मढ़ौरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।
12/1/15